दिव्यांगों के सफल मोबाइल कोर्ट ने दिखाया तंत्र को आईना

जासं • अयोध्या : दिव्यागों की एक ऐसी अदालत लगी, जिसमें तंत्र के दावों की पोल खुल गई। तेजवापुर-डिहवा के दिव्यांग अजय कुमार ने सड़क का प्रकरण उठाया। बताया कि वह 1996 से दौड़ते-दौड़ते थक गया। राजस्व अभिलेख में सड़क है। शिकायत करने पर लेखपाल आते है। पैमाइश कर कब्जा करने वाले से रुपये लेकर चले जाते हैं। सड़क से कब्जा खाली नहीं होता। सरकारी तंत्र के दावों को आईना दिखाने वाली मोबाइल अदालत दिव्यागों के हित में सफल रही। सभागार में एक भी कुर्सी खाली नहीं थी। कुर्सी पर दिव्यांग व उनके परिजन बैठे थे। ऐसे कई मामले सामने आये, जिससे सरकारी कार्यशैली का सच उजागर हुआ। प्रमाणपत्र के लिए दौड़ाने की शिकायतें आम रहीं। बोलने व न सुनने की दिव्यांगता के आए सर्वाधिक मामलों से राज्य आयुक्त दिव्यांगजन हिमांशु शेखर हतप्रभ रह गए। सुनवाई के बाद मुख्य चिकित्साधिकारी सुशील कुमार को इस ओर विशेष गौर करने व प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश पारित किया। जिला स्तरीय अदालत में बाराबंकी जिले के भिटरिया के माकनपुर गांव के अजय गुप्त का घुटने से नीचे का दायां पैर नहीं था। वह पैर के लिए आए थे, जिससे आसानी से चल सकें। अदालत जिला स्तरीय होने से उनको निराश लौटना पड़ा। सभाकक्ष के बाहर ट्राई साइकिलों की भरमार रही। 124 प्रकरण आये। अदालत सुबह-11 बजे से सायं चार बजे तक चली।

ऋषभ सिंह को दिव्यांगता प्रमाणपत्र देते राज्य आयुक्त दिव्यांगजन हिमांशु शेखर व बाराबंकी के भिटरिया के माकनपुर से पैर के लिए सभागार में जाते दिव्यांग अजय गुप्त • जागरण

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी चंद्रेश त्रिपाठी के अनुसार टंडौली के दिव्यांग ऋषभ सिंह को राज्य आयुक्त दिव्यांग कुर्सी से उठकर आदेश की प्रति व दिव्यांगता का प्रमाणपत्र देने आए। सुनवाई के बाद आयुक्त ने आश्वस्त किया कि जिन विभागों के प्रकरण लंबित हैं, उन विभागों के संबंधित अधिकारियों के कार्यालय में उपस्थित होकर आदेश की प्रति के साथ प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर लाभ लेने को कहा। सुनवाई में विद्युत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राशन कार्ड, पेयजल, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, दुकान संचालन ऋण आदि के मामले आये। उपायुक्त दिव्यांगजन सशक्तीकरण शैलेंद्र सोनकर, अपर जिलाधिकारी (नगर) सलिल कुमार पटेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुशील कुमार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, उप जिलाधिकारी सदर सहित उपनिदेशक दिव्यांग सशक्तीकरण, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, एलडीएम व संबंधित विभाग के अधिकारी गण उपस्थित रहे।

Scanned with OKEN Scanner

दिव्यांगजनों के 124 लंबित प्रकरणों की हुई सुनवाई

अयोध्या। राज्य आयुक्त दिव्यांगजन हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों के 124 लंबित प्रकरणों की सुनवाई हुई। इस दौरान दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने, बिजली कनेक्शन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राशन कार्ड, पेयजल सुविधा, दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण व दुकान संचालन ऋण के संबंध में मोबाइल कोर्ट का आयोजन सर्किट हाउस सभागार में किया गया। राज्य आयुक्त ने दिव्यांगजनों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की। विभागीय अधिकारियों को जांच कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लाभार्थियों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई। कहा गया कि जिन विभागों के प्रकरण लंबित हैं, उन विभागों के अफसरों के कार्यालय में उपस्थित होकर आदेश की प्रति के साथ प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर लाभ हासिल करें। इस दौरान उपायुक्त दिव्यांगजन सशक्तीकरण शैलेंद्र सोनकर, एडीएम एफआर सलिल पटेल, सीएमओ डॉ. सुशील कुमार व एसपी ग्रामीण बलराम चौधरी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो

Scanned with OKEN Scanner

दिव्यांगो के लम्बित प्रकरणों की सुनवाई के लिए आयोजित मोबाइल कोर्ट।

दिव्यांगों के लम्बित प्रकरणों की सुनवाई हुई

अयोध्या। राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों को उपलब्ध सुविधाओं के सम्बन्ध में लंबित प्रकरणों की सुनवाई के लिए मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने, विद्युत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राशन कार्ड, पेयजल, दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, दुकान संचालन ऋण के सम्बंध में इसका आयोजन किया गया था। अधिकारियों को जांच कर त्वरित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करते हुए लाभार्थियों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई।

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय मोबाइल कोर्ट में आये दिव्यांग-जनों के 124 मामले

अयोध्या।

दिव्यांग-जनों की समस्यायों को लेकर गुरुवार को न्यायालय मोबाइल कोर्ट का आयोजन सर्किट हाउस के सभागार में सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक किया गया।

न्यायालय मोबाइल कोर्ट राज्य आयुक्त दिव्यांगजन हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में आयोजित किया गयी। मोबाइल कोर्ट में दिव्यांग-जनों से सम्बन्धित लगभग 124 शिकायतों की सुनवाई की गयी।

कोर्ट में दिव्यांग-जनों को उपलब्ध सुविधाओं, दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने, विद्युत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राशन कार्ड, पेयजल, दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, दुकान संचालन ऋण आदि के सम्बन्ध में न्यायालय मोबाइल कोर्ट में विचार किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त दिव्यांगजन सशक्तिकरण शैलेंद्र सोनकर, अपर जिलाधिकारी नगर सलिल कुमार पटेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुशील कुमार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, उप जिलाधिकारी सदर सहित उपनिदेशक दिव्यांग सशक्तिकरण, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, एलडीएम व संबंधित विभाग के अधिकारी गण उपस्थित रहे।

Scanned with OKEN Scanner

दिव्यांगों के लंबित प्रकरणों की हुई सुनवाई

अयोध्या (स्वरूप संवाददाता)। राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0, हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों को उपलब्ध सुविधाओं, दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने, विद्युत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राशन कार्ड, पेयजल, दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, दुकान संचालन ऋण आदि के सम्बन्ध में न्यायालय/मोबाइल कोर्ट (प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक) का आयोजन सर्किट हाउस सभागार में किया गया। न्यायालय/राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 के द्वारा दिव्यांगजनों से सम्बन्धित लगभग 124 शिकायतों की सुनवाई की गई, जिसमें विद्युत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राशन कार्ड, पेयजल, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, दुकान संचालन ऋण आदि से सम्बन्धित थे। सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को जॉच कर त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करते हुए लाभार्थियों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई तथा निर्देशित किया गया कि जिन विभागों से सम्बन्धित प्रकरण लंबित हैं उन विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों के कार्यालय में उपस्थित होकर आदेश की प्रति के साथ प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर लाभ प्राप्त करें।

Scanned with OKEN Scanner

दिव्यांगों के लंबित प्रकरणों की हुई सुनवाई

अयोध्या। राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0, हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों को उपलब्ध सुविधाओं, दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने, विद्युत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राशन कार्ड, पेयजल, दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, दुकान संचालन ऋण आदि के सम्बन्ध में न्यायालय/मोबाइल कोर्ट (प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक) का आयोजन सर्किट हाउस सभागार में किया गया। न्यायालय/राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 के द्वारा दिव्यांगजनों से सम्बन्धित लगभग 124 शिकायतों की सुनवाई की गई, जिसमें विद्युत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राशन कार्ड, पेयजल, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, दुकान संचालन ऋण आदि से सम्बन्धित थे। सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को जॉच कर त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करते हुए लाभार्थियों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई तथा निर्देशित किया गया कि जिन विभागों से सम्बन्धित प्रकरण लंबित हैं उन विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों के कार्यालय में उपस्थित होकर आदेश की प्रति के साथ प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर लाभ प्राप्त करें। इस अवसर पर उपायुक्त दिव्यांगजन सशक्तिकरण शैलेंद्र सोनकर, अपर जिलाधिकारी नगर सलिल कुमार पटेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, उप जिलाधिकारी सदर सहित उपनिदेशक दिव्यांग सशक्तिकरण, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, एलडीएम व संबंधित विभाग के अधिकारी गण उपस्थित रहे।

Scanned with OKEN Scanner

दिव्यांगों के लंबित प्रकरणों की हुई सुनवाई

अवध गाथा संवाददाता

अयोध्या। राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0, हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों को उपलब्ध सुविधाओं, दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने, विद्युत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राशन कार्ड, पेयजल, दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, दुकान संचालन ऋण आदि के सम्बन्ध में न्यायालय/मोबाइल कोर्ट (प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक) का आयोजन सर्किट हाउस सभागार में किया गया।

न्यायालय/राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 के द्वारा दिव्यांगजनों से सम्बन्धित लगभग 124 शिकायतों की सुनवाई की गई, जिसमें विद्युत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राशन कार्ड, पेयजल, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, दुकान संचालन ऋण आदि से सम्बन्धित थे। सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को जॉच कर त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करते हुए लाभार्थियों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई तथा निर्देशित किया गया कि जिन विभागों से सम्बन्धित प्रकरण लंबित हैं उन विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों के कार्यालय में उपस्थित होकर आदेश की प्रति के साथ प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर लाभ प्राप्त करें। इस अवसर पर उपायुक्त दिव्यांगजन सशक्तिकरण शैलेंद्र सोनकर, अपर जिलाधिकारी नगर सलिल कुमार पटेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, उप जिलाधिकारी सदर सहित उपनिदेशक दिव्यांग सशक्तिकरण, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, एलडीएम व संबंधित विभाग के अधिकारी गण उपस्थित रहे।

Scanned with OKEN Scanner

सर्किट हाउस मे लगी मोबाइल कोर्ट, 124 से अधिक मामलों की सुनवाई

स्वतंत्र चेतना, अयोध्या। गुरुवार को सर्किट हाउस सभागार में राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन हिमांशु शेखर की अध्यक्षता में न्यायालय/मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न तहसीलों से आए दिव्यांग जनों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना तथा उनकी समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। इस मौके पर दिव्यांग जनों की खास कर समस्याएं आवास,दिव्यांगता प्रमाण पत्र, निर्गत किये जाने, विद्युत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, रास्ता,राशन कार्ड,पेयजल, दिव्यांग पेंशन, त्रिम अंग सहायक उपकरण, दुकान संचालन ऋण आदि के सम्बन्ध में लगभग 124 से अधिक मामले आए। इसके निस्तारण के लिए वहां पर मौजूद राज्य आयुक्त दिव्यांग हिमांशु शेखर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि जिन विभागों

से सम्बन्धित प्रकरण लंबित हैं उन विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों के कार्यालय में उपस्थित होकर आदेश की प्रति के साथ प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर लाभ प्राप्त करें। इस अवसर पर उपायुक्त दिव्यांगजन सशक्तिकरण शैलेंद्र सोनकर, एडीएम सिटी नगर सलिल कुमार पटेल, सीएमओ डॉ सुशील कुमार, एसपी ग्रामीण बलवंत, एसडीएम सदर राम प्रसाद तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी बृजेश कुमार, उपनिदेशक दिव्यांग सशक्तिकरण अनुपम मौर्या, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी चंद्रेश त्रिपाठी, एआरटीओ प्रवर्तन/प्रशासन डॉ आरपी सिंह, एलडीएम गणेश शंकर यादव, एआरएम आदित्य प्रकाश, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित कई विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

Scanned with OKEN Scanner

दिव्यांगों के लंबित प्रकरणों की हुई सुनवाई

पावन भारत टाइम्स

अयोध्या। राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0, हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों को उपलब्ध सुविधाओं, दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने, विद्युत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राशन कार्ड, पेयजल, दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, दुकान संचालन ऋण आदि के सम्बन्ध में न्यायालय/मोबाइल कोर्ट (प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक) का आयोजन सर्किट हाउस सभागार में किया गया। न्यायालय/राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 के द्वारा दिव्यांगजनों से सम्बन्धित लगभग 124 शिकायतों की सुनवाई की गई, जिसमें विद्युत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राशन कार्ड, पेयजल, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, दुकान संचालन ऋण आदि से सम्बन्धित थे। सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को जाँच कर त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करते हुए

लाभार्थियों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई तथा निर्देशित किया गया कि जिन विभागों से सम्बन्धित प्रकरण लंबित हैं उन विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों के कार्यालय में उपस्थित होकर आदेश की प्रति के साथ प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर लाभ प्राप्त करें। इस अवसर पर उपायुक्त दिव्यांगजन सशक्तिकरण शैलेंद्र सोनकर, अपर जिलाधिकारी नगर सलिल कुमार पटेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, उप जिलाधिकारी सदर सहित उपनिदेशक दिव्यांग सशक्तिकरण, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, एलडीएम व संबंधित विभाग के अधिकारी गण उपस्थित रहे।

Scanned with OKEN Scanner